

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक : 22.01.2019

आदेश


डा. महेश कुमार महला, चिकित्सा अधिकारी (ई. एन. टी.), जिला चिकित्सालय, सीकर का बकाया एवं आगामी वेतन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर के अधीन उपलब्ध रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द्र जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 3- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, जयपुर
- 4- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सीकर
- 5- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर
- 6- डा. महेश कुमार महला, चिकित्सा अधिकारी (ई. एन. टी.), जिला चिकित्सालय, सीकर
- 7- रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव